

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)

Impact Factor 6.924 Volume 9, Issue 11, November 2022

Website- www.aarf.asia, Email: editoraarf@gmail.com

गोंदिया जिले के अनुचित जाति का सामाजिक परिवर्तन-एक समाजवादी

Ashwin Rajhans Meshram Research Scholar, Gondwana University, Gadchiroli Dr. Dashrath T. Gajbhiye Assit. Professor, Aniket Mahavidyalaya, Wadsa

सार

भारतीय समाज मूलतः जाति व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें सांस्कृतिक विविधता, अलग—अलग जीवन शैली, पवित्रता और अपवित्रता का विचार, ऊंच—नीच का भेद—भाव और अस्पृश्यता के विचार उल्लेखनीय है। इस व्यवस्था में शारीरिक श्रम करने वाली संसाधन विहीन जाति को श्वस्पृश्य और बहिं—जाति की संज्ञा दी गयी है। भारतीय समाज व्यवस्था में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जाति है, जो अपरिवर्तनशील और स्थायी है। परिणामतः अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियाँ अन्य हिन्दू जातियाँ से अलग—थलग हैं। हिन्दु शास्त्रों के अन्तर्गत शूद्र वर्ण के साथ सामाजिक बहिष्कार तथा अपवित्रता की अवधारणायें संयुक्त की गयी है। अनुसूचित जाति के जीवन में सामाजिक—आर्थिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से शिक्षकों द्वारा निभाई गई है।एक ही समाज में अलग—अलग लोगों के साथ मिन्न—भिन्न विशिष्टताएं या नियोग्यताएं संयुक्त कर दी जाती है जिससे लोगों के मध्य एक असमानता का जन्म होता है।

मुख्य शब्द: अनुचित , सामाजिक , जाति

प्रस्तावना

मूगोल के अध्ययन का केन्द्र बिन्दु मानव है जो प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर निर्मित सांस्कृतिक भू—दृश्य का स्रष्टा है। प्राकृतिक वातावरण स्वतः अत्यन्त गत्यात्मक होते हुए भी सांस्कृतिक सन्दर्भ में मानव उपयोग के बिना एक निष्क्रिय पदार्थ है। जहाँ मनुष्य एक ओर अपने भौगोलिक वातावरण को परिवर्तित कर अपने लिए उपयोगी बनाता है, वहीं दूसरी ओर इससे प्रमावित भी होता है। यही कारण है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन मानव भूगोल का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष होता है।

मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक है जो प्राकृतिक पर्यावरण से विभिन्न रूपों में प्रभावित होता है और साथ ही अपने ज्ञान, कौशल तथा आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन करके सांस्कृतिक भू—दृश्य का निर्माण करता है। इन सांस्कृतिक भू—दृश्यों का विश्लेषण करना मानव भूगोल का परम उद्देश्य है। मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलापों तथा प्रतिरूपों का अध्ययन किसी मनुष्य विशेष के सन्दर्भ में नहीं बल्कि मानव समाज के रूप में किया जाता है। इसी सन्दर्भ में कुछ भूगोलवेत्ता सामाजिक भूगोल को मानव भूगोल का समानार्थी मानते हैं। सामाजिक भूगोल तथा जनसंख्या भूगोल वास्तविक रूप से विशाल

समुद्र जैसे मानव भूगोल का एक अभिन्न अंश है जिसके अध्ययन के बिना मानव भूगोल का अध्ययन अपूर्ण रह जाता है।

किसी भी देश, क्षेत्र या समाज का सर्वांगीण विकास वहाँ के सामाजिक संरचना एवं मानव मूल्यों से प्रभावित होता है। इसीलिए जनसंख्या के विभिन्न विशेषताओं के विश्लेषण के साथ जातिगत विशेषताओं का विश्लेषण करना नितान्त आवश्यक है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि कुछ जातियाँ अपेक्षाकृत प्रारम्भ से ही विकसित रही है तथा आर्थिक स्नोतों एवं मू स्वामित्व का केन्द्रीकरण अधिकांशतः इन्ही के पास है। जबिक अनुसूचित जातियाँ सामाजिक—आर्थिक रूप से पिछड़ी दशा में है जो प्रायः अपने परम्परागत कार्यों में संलग्न हैं। सामान्य रूप से जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की बहुलता है, वे क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। अतः किसी क्षेत्र में समग्र विकास नियोजन के लिए अनुसूचित जातियों का अध्ययन तथा उनके समस्याओं का निराकरण आवश्यक है।

सभी मानवीय समाजों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व्यवसायिक, राजनीतिक, धार्मिक या प्रजातीय अधारों पर स्तरीकरण की व्यवस्था पायी जाती है। स्तरीकरण की यह व्यवस्था समाज में कुछ विशेष कोटियों का निर्माण करती है। इन अलग—अलग कोटियों में कुछ लोगों को उच्च, तो कुछ को निम्न स्थिति प्रदान की जाती है। एक ही समाज में अलग—अलग लोगों के साथ भिन्न—भिन्न विशिष्टताएं या निर्योग्यताएं संयुक्त कर दी जाती है जिससे लोगों के मध्य एक असमानता का जन्म होता है। प्राकृतिक असमानताओं के अतिरिक्त जब मानव समाज द्वारा स्वयं अपने सदस्यों में भिन्नता मूलक भावनाओं का बीजारोपण किया जाता है, तब आपस में अन्तर्विरोध, कुन्टा या विलगता की भावनायें स्वतः निर्मित होने लगती है। शारीरिक गठन, प्रजाति, रंग, भाषा और लिंग आदि प्राकृतिक विभेद है। इन विविधताओं से कुछ सुनिश्चित असमानतायें विकसित कर ली गयी हैं तथा उन्हें समाज कुछ अन्य आधारों पर संयुक्त कर अधिक पुष्ट बना देता है। सामान्यतः सभी परम्परागत या आधुनिक समाजों में यह स्थिति पायी जाती है।

भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक संगठन की प्रक्रिया में कई प्रजातियों और कबीलों के लोग एक दूसरे के सम्पर्क में आये थे। सत्ता संघर्ष और वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में भारतीय समाज में भी रंग, लिंग, प्रजाति और भाषागत विभेदों का जन्म हुआ। धर्म प्रधान समाज की स्थापना के बाद सामाजिक उत्पादन की व्यवस्था में सदस्यों को व्यवसायिक आधार पर वर्गीकृत किया गया।

वर्गीकरण की उस व्यवस्था को श्जातिश की अवधारणा प्रदान की गयी, जो परम्परागत सत्ता वर्घरव में जन्म पर आधारित हो गयी। व्यवसाय पर आधारित प्राचीन जाति व्यवस्था में एक जाति से दूसरी जाति में जाने के अवसर सुलम थे, लेकिन शुद्धता एवं अशुद्धता की अवधारणा के साथ ही जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में अलग—अलग बन्द समूहों का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में सामाजिक और आर्थिक असमानतायें अधिक स्थिर और जिटल हो गयी।

भारतीय समाज मूलतः जाति व्यवस्था पर आघारित है, जिसमें सांस्कृतिक विविधता, अलग—अलग जीवन शैली, पवित्रता और अपवित्रता का विचार, ऊंच—नीच का भेद—भाव और अस्पृश्यता के विचार उल्लेखनीय है। इस व्यवस्था में शारीरिक श्रम करने वाली संसाधन विहीन जाति को श्वस्पृश्य और बहिं—जाति की संज्ञा दी गयी है।

भारतीय समाज व्यवस्था में सामाजिक स्तरीकरण का आघार जाति है, जो अपरिवर्तनशील और स्थायी है। परिणामतः अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियाँ अन्य हिन्दू जातियाँ से अलग—थलग हैं। हिन्दु शास्त्रों के अन्तर्गत शूद्र वर्ण के साथ सामाजिक बहिष्कार तथा अपवित्रता की अवधारणायें संयुक्त की गयी है। व्यवसायिक निम्नता के कारण अस्पृश्य या अपवित्र कार्यों को शूद्रों के लिए सुनिश्चित किया गया था। प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारतीय समाज में शूद्रों और वर्णत्तर जातियों को आधारभूत नागरिक अधिकारों से वंचित किया गया था। ष्रमाज में यदि किसी व्यक्ति को समाज के एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है तो उसे समाज में रहने वाले अन्य लोगों की भाँति नागरिक अधिकारों के उपभोग का समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन भारत में रहने वाली दलित जातियाँ, श्आन्तरिक सर्वहाराष्ट्र का विशिष्ट उदाहरण है जो समाज में तो हैं लेकिन समाज के नहीं हैष् (अर्नाल्ड टिय्रीनबी, 2019)।

व्यवसाय और जाति में घनिष्ठ सम्बन्ध है। निचली जातियों के अधिकांश लोग कम आय वाले व्यवसायों में संलग्न हैं। अस्पृश्य जाति के लोगों को पहले उच्च जातियों द्वारा किये जाने वाले व्यवसायों में सहभागिता की सुविधा प्राप्त नहीं थी, जिसका मूल कारण जाति रूपी बन्द व्यवस्था के कठोर नियम थे।

अस्पृश्य जाति के लोगों के पिछडेपन का मूल कारण सामाजिक शक्ति संरचना में उनका व्यवस्था—परिधि के बाहर होना था। निर्धनता बेरोजगारी, अलाभकारी—व्यवसाय, अशिक्षा आदि कुछ ऐसी स्थितियाँ थी जिन्होंने इन जातियों को दलित बने रहने के लिए बाध्य किया है।

स्वतंत्र भारतीय समाज में सामाजिक—आर्थिक रूपान्तरण संपोषणीय आर्थिक प्रगति की ओर हो रहा है, लेकिन इसमें दलित एवं अस्पृश्य जातियों की सहभागिता अत्यन्त सीमित है। संविधान में उन्हें श्अनुसूचित जातियोंर की संज्ञा दी गयी है। अनुसूचित जातियों के सदस्य सामाजिक अपंगता और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया में अन्य जाति के सदस्यों की भाँति सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं। परम्परागत सामाजिक निर्योग्यता उनके जीवन स्तर को सुधारने में सबसे अधिक बाधक है। सामाजिक और आर्थिक अपंगतायें एक दूसरे को पुनर्प्रभावी बनाती रहती है।

अनुसूचित जातियाँ और उनकी विशतायें

अनुसूचित जाति अस्पृश्यों के लिए प्रचलित एक आधुनिक शब्द है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत वे जातियां हैं, जिन्हें अस्पृश्यता के कारण उपेक्षित तथा अलग—अलग रखा गया अर्थात उनकी निम्न सामाजिक स्थिति के कारण उनकी उपेक्षा की गई और उन्हें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक लाभों से वंचित रखा गया।

अनुसूचित जाति शब्द मात्र कानूनी और संवैधानिक कल्पना है। भारतीय संविधान में कहीं इनकी व्याख्या नहीं मिलती है। बल्कि इससे एक गड़बड़ी उत्पन्न होती है और फलतः संविधान में बार—बार संशोधन होता है। अनुसूचित जाति शब्द साइमन कमीशन द्वारा 1935 में प्रयोग किया गया था जो कि अस्पृश्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया। अम्बेडकर के अनुसार आदिकालीन भारत में इन्हें ष्मग्न पुरुष्ष या श्वाह्म जातिश माना जाता था। अम्बेडकर के अनुसार आदिकालीन वर्ग कहते थे। 1931 की जनगणना में उन्हें बाहरी जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन की संज्ञा से पुकारा। संविधान के निर्माताओं ने भी साइमन कमीशन द्वारा गढ़े गये शब्द का प्रयोग किया।

स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में इस कोटि के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से इस शब्द को यथावत रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 366(24) में स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाित से अभिप्राय ऐसी जाितयां या जाितयों के भाग से हैं जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य या संध राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में और जहां वह राज्य हैं वहां के राज्याल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जाितयों, मूलवंशों या जाितयों के भागों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए राज्य का संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जाितयां समझी जायेंगी।

मुख्य पेशा बधिक — इन्हें हिन्दू कसाई भी कहते हैं। पशु—पक्षियों को मारना एवं खाना इनका मुख्य पेशा है। पक्षियों को पकड़कर बेचते भी हैं। पशु—पालन, मुर्गी पालन तथा कृषि कार्य भी करते हैं।

घरेलू कार्य वाइस्कोप दिखाना तथा कृषि मजदूरी इनका व्यवसाय है। बैसवार दृ चौधरी, खेडित, खनिया तथा सोहगपुरिया इनकी शाखायें हैं। खेती पशुपालन तथा मजदूरी इनका व्यवसाय है। बलाहर दृ इन्हें बैरागी, चोबदार और ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। नादिनया, मनोहर, सुरैया, आत्कार, लोगिरया, फरेर तथा तुरिकया इनकी शाखायें हैं। खेती तथा पशुपालन इनका मुख्य पेशा है। बंगाली — ये सर्फ के चर्म का व्यापार करते हैं और जड़ी—बूटियां बेचते हैं। तेली, राढ़ी और नागवाला इनकी उपजातियां हैं। भेडियों, जंगली बिल्लियों तथा मछली मारना इनका मुख्य पेशा है। बंसफोर — यह अपने को वेणुवंशी कहते हैं। इन्हें डोम की एक उपजाति माना जाता है। बांस से टोकरी बनाना इनका मुख्य पेशा है। ये भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। बरबार — स्वतंत्रता पूर्व इन्हें अपराधी जाति माना जाता था। संवाग और गुलाम इनके दो समूह हैं। खेती एवं मजदूरी इनका व्यवसाय है। बेडिया

दृ इन्हें बैरा पतुरिया भी कहते हैं। कठोरिया, जोगरिया तथा गंगापारियां इनकी शाखायें हैं। यह नृत्य गान करते हैं। भाँतू — स्वतंत्रता पूर्व यह अपराधी जाति माना जाता था। धूलिया, चौरेल, बांसवाले, धमोक, संदके, मीना और मारवाडी इनकी शाखायें हैं। षराब खूब पीते हैं। चोरी, डकैती, धिनौनी तथा धोखाधड़ी के लिए बदनाम हैं। अब ये शहरों में अधिक रहते हैं। मजदूरी इनका व्यवसाय है।

अध्ययन के उद्देश्य :

- अनुसूचित जाति के शिक्षकों के प्रेरक स्रोतों और सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच करना.
- अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जाति के शिक्षकों के मुद्दों और उनके समुदायों की समस्याओं की तुलना और विश्लेषण करना।

अनुसंघान क्रियाविधि:

समाज के वंचित वर्गों के हितों में समाज सुघारकों के अथक संघर्ष के परिणामस्वरूप और सामान्य रूप से समतावादी सिद्धांत पर आधारित समाज की एक नई व्यवस्था बनाने के लिए, भारत के संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं, और इसके लिए संवैधानिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा कुछ प्रगतिशील कानून पारित किए गए हैं। लेकिन केवल कानून पारित करने से उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।

यद्यपि अछूत समुदाय को अलग करने के लिए कई नि:शक्तता विरोधी विधायी उपाय अपनाए गए हैं, मारे गैलेंटर जैसे विद्वान ने 'विकलांगता को दूर करने में इसके सीमित प्रभावश् को नोट किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट भारत के कई हिस्सों में अस्पृश्यता की प्रथा की व्यापकता को प्रकट करती है। राज सिंह ने बताया कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम (अर्थात नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में संशोधित) ग्रामीण समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करने में सफल नहीं हुआ था।

पहले अध्याय में हमने देखा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों पर सामाजिक और धार्मिक अक्षमताएं थोंपी गई थीं। लेकिन आजादी के बाद की अवधि के दौरान जमींदार मध्यवर्ती या प्रमुख जातियों ने अपने गांव के स्थानों में कानून अपने हाथ में ले लिया है।

भारत के विभिन्न हिस्सों से जो अत्याचार की घटनाएं सामने आई हैं, आमतौर पर ज्यादातर मामलों में वे मध्यम जाति के जमींदारों द्वारा की गई हैं। सरकार की आरक्षण नीति के खिलाफ जाति—हिंदू लोगों द्वारा दिन—ब—दिन नाराजगी व्यक्त की जाती है। प्नरुत्थानवादियों की कुछ ताकतें (उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में शिवसेना की

सांप्रदायिकता) अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ और सामान्य तौर पर प्रगतिशील विचारों के खिलाफ सिक्रिय रही हैं। मध्यम जातियों के जमींदारों द्वारा किए गए सामाजिक और आर्थिक बिहिष्कार की घटनाओं की सूचना मिली है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि यद्यपि सत्यशोधक आंदोलन की स्थापना एक गैर-ब्राह्मण नेता जोतिराव फुले ने की थी, लेकिन कुलीन गैर-ब्राह्मणों ने इसमें भाग नहीं लिया था।

तिमलनाडु में विन्तियार, कर्नाटक में लिंगायत, आंध्र में राडाई, महाराष्ट्र में मराठा और उत्तर भारत में यादव, राजपूत, जाट और इसी तरह की अन्य जातियाँ उत्पीड़न और अत्याचार करने में अग्रणी रही हैं। रिपोर्ट किया कि सवर्ण हिंदुओं ने महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों में दिलतों के इलाकों पर हमला किया।

जैसा कि (दैनिक केसरी (मराठी), कोल्हापुर—सांगली, दिनांक 7–6–1988, में बताया गया है) अप्रैल–मई, 1988 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ के सात जिलों के 225 गांवों में दलितों का इलाका था। शिवसैनिकों द्वारा हमला किया गया, जो ज्यादातर सवर्ण हिंदुओं के मध्यवर्ती वर्ग के थे।

यह सर्वविदित है कि 1978 में मराउवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ड□बाबासाहेब अम्बेडकर मराउवाड़ा विश्वविद्यालय करने के कारण महाराष्ट्र में मराउवाड़ा क्षेत्र के मराउवाड़ा क्षेत्र के मराउवाड़ा क्षेत्र के गांवों और करबों में मध्यम जातियों के लोगों ने बड़े पैमाने पर दिलतों पर हमला किया। कभी—कभी यह बताया गया था कि मराउा महासंघ के नेतृत्व में आरक्षण विरोधी आंदोलन ने गुजरात प्रकार का आंदोलन शुरू किया था। (इंडियन एक्सप्रेस, बाबे देखें, दिनांक 24—4—1985)। दिसंबर 1988 में जाति हिंदुओं और दिलतों के बीच श्राम और कृष्ण की पहेलियोंश के मुद्दे पर एक तनाव पैदा हो गया होगा, एक विवादास्पद अनुसूची जो ड□बीआर, अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी, लेकिन मसला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया।

आम तौर पर देखा गया है कि अनुसूचित जाति के हितों में अपनाए गए विधायी उपायों को सरकार के विंग के अधिकारियों द्वारा ठीक से लागू नहीं किया गया है। यह बताया गया है कि महाराष्ट्र राज्य में पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च किए जाने वाले खर्च का हिस्सा जिला परिषदों और पंचायत समितियों द्वारा खर्च नहीं किया गया था, 5 महाराष्ट्र अपने सह—कार्य के लिए प्रसिद्ध है— अप्रिटिव मूवमेंट। बैंक, डेयरी, क्रोडिट, उत्पादन, विपणन और इसी तरह के सहकारी संस्थानों को कमोबेश महाराष्ट्र के सभी हिस्सों में और विशेष रूप से दक्षिण—पश्चिम महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, उम्मीदवारों की भर्ती करते समय सेवा आरक्षण के मानदंड होने चाहिए देखा। लेकिन तथ्य यह है कि पिछड़ा वर्ग (अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/एनटी/डीएनटी) से बहुत कम उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है और बैक—लिंग की प्रतीक्षा की जाती है।

हाल ही में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने बताया कि सरकारी विभागों और बैंकों में अनुसूचित जाित के लिए 10,000 से अधिक रिक्तियां अभी भरी जानी हैं। बिखी हाईकोर्ट ने स्वयं महाराष्ट्र राज्य की जिला न्यायपालिका की सेवा में आरक्षण से संबंधित संवैधानिक नीित को लागू नहीं किया है। 1977 से 1988 की अविध के दौरान पिछड़ा वर्ग (अर्थात अनुसूचित जाित/अनुसूचित जनजाित/एनटी/डीएनटी) को केवल 8.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा, हाल के दशकों के दौरान आम तौर पर यह देखा गया है कि, जाित का झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पुत्र-पिछला वर्ग के लोगों में अनुसूचित जाित/अनुसूचित जनजाित/एनटी/डीएनटी लोगों को उपलब्ध शिक्षा और सेवा सुविधाओं को लेने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। और ऐसे देखे गए मामले भी सामने आए हैं।

गोंदिया शहर और उत्तरदाताओं का चयन

यह अध्ययन महाराष्ट्र राज्य के एक शहर गोंदिया में किया गया है। जिले का कुल क्षेत्रफल 5431 किलोमीटर हैं, जिसमें से लगभग 2865 किलोमीटर क्षेत्र में जंगल व्याप्त है। गोंदिया जिले को प्रशासनिक दृष्टि से 8 तहसीलों में बाँटा गया है। इस जिले के अंतर्गत 2 नगर—परिषद, 8 पंचायत समिति एवं 571 ग्राम पंचायतों का समावेश है। जिले की कुल जनसंख्या 12,00,250 है, जिसमें से लगभग 10,60,502 लोग ग्रामीण भाग में निवास करते हैं एवं 1,39,700 लोग शहरी भाग में निवासरत् है। जिले की जनगणना के अनुसार 78 प्रतिशत लोग साक्षर है। यह विश्वविद्यालय की सीट है। निम्न तालिका में शिक्षकों की संख्या के साथ—साथ शैक्षणिक संस्थानों की संख्या का पता चलता है।

डेटा का संग्रहण

अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जाति के शिक्षकों की भूमिका की जांच करने के लिए एक उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करके डेटा एकत्र किया गया था। यह अनुसूची थी। कुछ विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ सुधार और आलोचना के लिए कि करने के लिए चर्चा की गई, यदि कोई हो। कुछ सुधारों का सुझाव दिया गया था और उसी के अनुसार किया गया था। पूर्व परीक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई। पूर्व-परीक्षण के आधार पर प्रश्नों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया और एक अंतिम अनुसूची तैयार की गई।

प्राथमिक आंकड़े वर्ष 1985—1986 में प्रस्तावित अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं से एकत्र किए गए थे। एकत्र किए गए डेटा को शिवाजी विश्वविद्यालय के यूनिक्स कंप्यूटर को फीड़ किया गया और टेबल की तलाश की गई। एक वर्ष की अविध वाले अनुसूचित जाति के शिक्षकों के आंकड़ों का विश्लेषण करते समय एक तुलना समूह के आंकड़ों की आवश्यकता महसूस की गई।

इस प्रकार गैर—अनुसूचित जाति के शिक्षकों का चयन पहले के रूप में किया गया था। गैर—अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं का चयन करते समय पूर्ण गैर—अनुसूचित जाति शिक्षकों में इन जातियों की उपस्थिति और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा गया था। वर्ष 1988 में गैर—अनुसूचित जाति शिक्षकों से डेटा एकत्र किया गया था। उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्र करते समय उनकी भूमिकाओं से संबंधित मुद्दों की संख्या पर विस्तार से चर्चा की गई और उपयोगी सूचनाओं को नोट किया गया।

यह चर्चा शिक्षकों के स्तर का विश्लेषण करने में सहायक सिद्ध हुई। हमें उत्तरदाताओं से आवश्यक डेटा एकत्र करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उत्तरदाता बहुत सहयोगी थे और आवश्यक किसी भी जानकारी को प्रकट करने में संकोच नहीं करते थे।

डेटा विश्लेषण

शिक्षकों की सामाजिक-शैक्षिक पृष्ठभूमि

व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। यह किसी के किरियर और ष्ट्यक्तित्व के विकास में योगदान देता है। आम तौर पर अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की जीवन के सभी क्षेत्रों में वंचित होने की पृष्ठभूमि होती है। हालांकि, ब्रिटिश काल से अनुसूचित जाति समुदायों को विभिन्न — विशेष उपायों से लाभान्वित किया गया है और सरकार के कार्यक्रम। इसलिए कुछ परिवारों की बेहतर शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है। आजकल शैक्षिक और आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति एक समरूप समुदाय नहीं है। इस संदर्भ में व्यक्तिगत कारकों जैसे कि लिंग, आयु और वैवाहिक स्थिति के साथ अध्ययन में न केवल उत्तरदाताओं के बल्कि माता—पिता के शैक्षिक स्तर के विश्लेषण को भी शामिल किया गया है। उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण भी आवश्यक है। इसलिए अनुसूचित जाति के शिक्षकों की पृष्ठभूमि से संबंधित आंकड़ों पर नीचे चर्चा की गई है।

लिंग

इनमें— कुल 160 अनुसूचित जाति शिक्षक 51 (अर्थात 31.88:) महिला शिक्षक थीं। जब जाति चर द्वारा नमूने की जांच की गई तो महार (24 यानी 47.5:) और चंभर (17 यानी 33. 33:) जातियों से महिला शिक्षकों की संख्या अधिक पाई गई। 9 (अर्थात् 22.50:) गैर—अनुसूचित जाति महिला शिक्षकों की तुलना में अनुसूचित जाति महिला शिक्षकों का प्रतिनिधित्व अधिक प्रतीत होता है।

यद्यपि हमारे नमूने में, गैर—अनुसूचित जाति वर्ग की प्रतिवादी महिला शिक्षकों की संख्या कम चुनी गई है, वास्तव में, वहाँ प्रतिनिधित्व है जो आमतौर पर अधिक देखा जाता है ' हमारे अवलोकन में, आम तौर पर, माध्यमिक स्तर तक महिला शिक्षकों की बड़ी संख्या देखी जाती है विशेष रूप से ब्राह्मण जाति—समूह से और इसलिए इसकी तुलना में आरई एससी श्रेणी की 51 महिला शिक्षक शिक्षण पेशे में खराब प्रतिनिधित्व को प्रमाणित करती हैं।

उम्र

अनुसूचित जाति समूह के मामले में आयु कारक एक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि अनुसूचित जाति समुदाय की युवा पीढ़ी ने विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान शैक्षिक सुविधाओं की संख्या के कारण शिक्षा लेना शुरू कर दिया है, यही कारण है कि बहुसंख्यक (107 प'म' 66.87:) अनुसूचित जाति के प्रतिवादी—शिक्षक 18—40 वर्ष आयु वर्ग के हैं। इसके अलावा यह ध्यान देने योग्य है '/कि केवल भंगी शिक्षक जो 26 वर्ष की आयु के थे, हाल के वर्षों के दौरान प्रशिक्षक के रूप में शामिल हुए' इस प्रकार उच्च आयु वर्ग में, शिक्षण पेशे में कम प्रतिनिधित्व पाया जाता है' गैर—अनुसूचित जाति अधिकतम प्रतिनिधित्व के बीच 37'50: 41—50 आयु वर्ग में पाया जाता है, उसके बाद छोटे आयु वर्ग में 32.50: 18—30 में ' 31—40 वर्ष के भीतर, 22.50: और वृद्धावस्था समूह में न्यूनतम 7'50: होता है।

वैवाहिक स्थिति

शिक्षक उत्तरदाताओं में से अधिकांश विवाहित थे। एससी वर्ग से 117 यानी 73.12: और गैर--एससी और शिक्षकों से 33 यानी 82.50: विवाहित थे। 117 विवाहित अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं में से 78 यानी 66,66: पुरुष थे। और अनुसूचित जाति के शिक्षकों में से 34 यानी 21,25 प्रतिशत अविवाहित थे और 9 यानी 5,63: विधवा थीं। अनुसूचित जाति के 9 विधवा उत्तरदाताओं में से 7 महिलाएं थीं। प्रॉम गैर--एससी श्रेणी 7 यानी 17,50: अविवाहित थे।

जाति

तालिका 4.1 प्रतिवादी शिक्षकों का जातिवार वितरण

जाति	महार	चम्भार	मांग	धोर	भंगी	कुल संख्या
संख्या	85	41	26	7	1	160

সনিখান 53.13 25.63 16.24 4.37 0.63	100
------------------------------------	-----

उपरोक्त तालिका से गोंदिया शहर में शिक्षण पेशे में महार समुदाय का प्रतिनिधित्व चंभर और मांग के बाद स्पष्ट रूप से संकेतक हैं। चूंकि महार समुदाय की महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के बीच सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए उनके प्रतिनिधित्व में अग्रणी होना स्वाभाविक है। इसके अलावा, महाराष्ट्र में शिक्षण पेशे में भी प्रवेश कर रहा है। • पेशे में, महार समुदाय शिक्षा को दांव पर लगाने में अग्रणी रहा है और आगे यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि चम्भार समुदाय का मांग में बेहतर प्रतिनिधित्व है, हालांकि चम्भार समुदाय कुल में तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, गैर—अनुसूचित जाति शिक्षकों के संबंध में, इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए मराठा जैन, लिंगायत, गुरव और माली समुदायों में से प्रत्येक के 8 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

धर्म

अध्ययन के नमूने से पता चलता है कि अनुसूचित जाित के प्रतिवादी शिक्षकों के बहुमत (151 यानी 9438%) हिंदू धर्म की श्रेणी से संबंधित थे और केवल 9 यानी 563% अनुसूचित जाित के शिक्षक बौद्ध धर्म से संबंधित थे' जो शिक्षक बौद्ध धर्म के थे' धर्म पूर्व महार जाित के थे। विशेष रूप से महारों के बीच धर्मांतरण का आंदोलन 1956 से शुरू हुआ जब डिं बाबासाहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और सभी गैर-एससी प्रतिवादी शिक्षक धर्म से हिंदू थे, सिवाय 8 जैनियों के जिनका धर्म जैन धर्म था।

उपसंहार

उत्तरदाताओं की माता—पिता की पृष्टभूमि की भी जांच की गई, माता—पिता के स्तर पर निरक्षर गैर—एससी की तुलना में एससी उत्तरदाता शिक्षकों में अधिक देखा गया, जब जाति स्तर पर डेटा की जांच की गई तो साक्षरता दर महार की पैतृक पृष्टभूमि में प्रमुख थी शिक्षकों की। जहां तक पारंपरिक व्यवसाय को बंद करने का संबंध है, यह शिक्षकों की दोनों श्रेणियों की आने वाली पीढ़ियों में आम बात थी। प्रतिवादी—शिक्षकों की समग्र पृष्टभूमि से ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से अधिकांश निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणी से संबंधित हैं। अध्ययन ने प्रतिवादी—शिक्षकों के प्रेरक स्रोतों का अवलोकन किया। जो पाया गया वह यह था कि अनुसूचित जाति के अधिकांश शिक्षकों की आर्थिक पृष्टभूमि खराब थी, लेकिन सीखते समय वे सुधारकों की विचारधाराओं के संपर्क में थे। अध्ययन से पता चला कि अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं में से 51च,ब, पिता छोटे—मोटे काम में लगे हुए थे।

माता-पिता स्वयं थे 'बेशक, जब डेटा एकत्र किया गया था तो शिक्षकों को पुराने वेतनमान के अनुसार वेतन मिल रहा था और वर्तमान में उनके वेतन को संशोधित किया गया है। संदर्भ सूचि

- एकिंग्रि, आर0 एल0 द डिजाइन आफ सोशल रिसर्च, यूनिवर्सिटी अिंग्रि शिकागों प्रेस, 19531
- [2] अतरचन्द पोवर्टी एण्ड अन्डरडेवलपमेंट : न्यू चौलेंजेज, गेन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1987 |
- [3] बर्द्धन, पी०के० पोवर्टी एण्ड इन्कम डिस्ट्रीव्यूशन इन इण्डिया, स्टैटिस्टिकल पब्लिशिंग सोसाइटी, कलकत्ता, 1974 |
- [4] बेते, आन्द्रे कास्ट, क्लास एण्ड पावर, अक्रिसफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे, 1966
- [5] बेपेगेमैज, ए, एण्ड पी० स्टेटस इमेजेज इन चेंजिंग इण्डिया, माजिकतला, बिर्मी, वी० वीरा राधवन 1967
- [6] बेली, एफ, जी. कास्ट एण्ड इकोनिक फ्रांटियर, मैनचेस्टर, 1957 क्लोज्ड सोशल स्ट्रेटीफिकेशन इन इण्डिया, यूरापीयन जर्नल अिष्ठ शोसियोलिजी, 1963
- [7] बेटोमोर, टी. बी. क्लासेल इन मर्जिर्न सोसाइटी लन्दन, 1955 ।
- [8] बुथ, चार्ल्स लाइफ एण्ड लेबर अफि द पेपल इन लन्दन, 17 विल्यूम, मैक्मीलन, लन्दन, 1.02—1903 |
- [9] बनर्जी, डी. पोवर्टी क्लास एण्ड हेल्थ कल्चर इन इण्डिया, विट्यूम वन, प्राचीन प्रकाशन, न्यू दिल्ली 1981 ।
- [10] बलन्ठ, ई. ए. एच. द कास्ट सिस्टम अफ्रि निर्धिन इण्डिया, अक्रिपकोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, 1931 ।
- [11] बागची, एस. पोवर्टी एलीवियेशन प्रोग्रामस इन सेवेन्थ प्लान, एन एप्रेशल, इकिनीमिक एण्ड पिकिटिकल वीकली, बिनी, जनवरी, 24 1987 |
- [12] बूथ, एम. ए० इकोनर्मिक लाइफ इन ऐन्सियेंट इण्डिया, बडौदा, 1924
- [13] अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की चौदहवीं रिपोर्ट, 1964-65, भारत सरकार, प्रकाशन प्रबंधक, दिल्ली, 1967, पीपी.14-21 और 25 ।

- [14] अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की पंद्रहर्वी रिपोर्ट, 1965–66, विद्यूम। I और II, भारत सरकार, प्रकाशन प्रबंधक, दिल्ली, 1967, पीपी. 83–91, और 93–96।
- [15] बीसवीं रिपोर्ट "आयुक्त पाउंड पीआर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति; 1979–81, भाग–1, भारत सरकार, प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110 054, 2012, ।
- [16] अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की चौबीसवीं रिपोर्ट; 1975–76 और 2016–17, भाग–I, भारत सरकार, प्रकाशन प्रबंधक, नई – दिल्ली–110002, 1977, पीपी 103–104।
- [17] अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की छब्बीसवीं रिपोर्ट, 2018–19, 2010, । भारत की जनगणना, 2011, सीरीज 12, महाराष्ट्र ।